

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती ध्यारी

बनाम तुलसीराम शर्मा

किस्म मुकदमा

प्रा-पत्र 111-128

नं०

५५

सन

२०२२

दिनांक

हुकम या कार्यवाही नय इनिशयलस जज

नम्वर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तानील में जारी हुए

322

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 29/3/22 को परा है

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल

29³/₂₂

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद लगभग दोकर प्राप्त हुए जिले शा-पठ किये गये। तलसीलदार मांडल से मांका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा-पठ किया गया। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा झावापे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इसके विकल एक्टरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय धुष्कसे लिया जाकर शकिल पत्रावली किया गया। पत्रावली के लल अुमार दोकर नम्वर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-डॉ पूजा सक्सेना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 44/2022

1- श्रीमती प्यारी पालि एवं मांगू गुर्जत नि-चोदरास तहसील माण्डल जिला

--प्रार्थी

बनाम

1- श्रीकुलश्याम पिता गोपी गुर्जत नि-सोजीखेड़ा, चोदरास तहसील माण्डल जिला

-विपक्षीयण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 29-03-22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चोदरास पटवार हल्का चोदरास तहसील माण्डल में उसके खतते /संयुक्त खाते की आराजी न 2684/112 कुल किता 01 रकबा 0.7588 हे० बीघा — बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदायिका के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खतते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04.03.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी करने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम चोदरास पटवार हल्का चोदरास तहसील माण्डल में उसके खतते /संयुक्त खाते की आराजी न 2684/112 कुल किता 01 रकबा 0.7588 हे० बीघा — बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक चोदरास को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथारिथति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा